

Form No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

शालत मुकाम **34 जिला कलेक्टर**
श्री विजयनगर
 नाम **मादीराम** बनाम **ए. नोडरी प्रेस**
 मुकदमा नम्बर **188-52A KTA** नम्बर **14** सन् **2019**

दिनांक	हुकम या कार्यावाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए।
8/3/19	<p>आज यह वाड फन वाडी शाय जरीने वनीक फुड किया है। वाड फन इज रोजर हे। प्रतिकी- गव को जरीने समकत बलय किया जाकर फमावली दिनांक 09/4/2019 को फुड हो।</p> <p><i>Punjabi</i></p>	<p><i>Not Press</i></p> <p><i>9.4.19</i></p>
9/4/19	<p>फमावली फुड। वनीक वाडी इफो- वनीक वाडी ने निवेड किया कि वाडी वाड फन को भाग नही चलाना चाहते है वाड फन को इसी हेतज पर विडा करने की अनुमति चाहत है। फमावली का अवलोकन रिज गवा वनीक वाडी ने फमावली की फर्द अहकाम की पुस्तक पर वनीक इमाम Not Press. कोर इर वाड फन को इसी हेतज पर विडा करने का निवेड कोर इर अनुमति चाही है। वनी वनीक के निवेड वाड फन को इसी हेतज पर विडा करने की अनुमति दी जाती है। फमावली के कारनी प्रोप वीजनी के इमान्त के फलमुकर होकर डाकिर इफरल हो।</p> <p><i>आइसे कुमल गवा</i></p> <p><i>Punjabi</i></p> <p>34 जिला कलेक्टर श्री विजयनगर</p>	



वादा पत्र
Report
15/05/19

ब अदालत सहायक कलैक्टर
श्रीविजयनगर ।

1. माहीराम पुत्र श्री खेमाराम जाति बावरी निवासी 3/4डी.जे.एम. तहसील
श्रीविजयनगर जिले श्री गंगानगर राजस्थान वादी

बनाम

1. धन्नो देवी पत्नी जीतसिंह कौम बाजीगर निवासी 11एम.एल.तहसील व जिला
श्री गंगानगर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर ।
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ.धा. 188,92ए आर.टी.ए.

श्रीमान जी,

वादी निम्न निवेदन करताहै कि :-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है । वाद पत्र दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है ।
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाके चक 3डी.जे.एम. तहसील श्रीविजयनगर कामु.न. 16 प.न. 220/436 कि.न. 1/1,2,3,8,9/2,10/4 का 1.012है. मु.न. 17 प.न. 221/436 कि.न. 1ता10 का 2.530है. कुल 3.542है. भूमि कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबन्दी प्रति सलंगन वाद पत्र है ।
3. यह कि प्रतिवादी सं. 1 औरतजात होने से उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि को स्वयं काशत न कर हिस्सा/ठेका पर देकरा काशत करवाती है । जो कि प्रतिवादी सं. 1 की भूमि को वादी ही ठेका पर काशत करता आ रहा है माह मई 2018 में प्रतिवादी सं. 1 को अन्य भूमि खरीद करने के लिए रुपयो की जरूरत होने पर प्रतिवादीया सं. 1 के द्वारा अपनी पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि को आगामी दो वर्षों के लिए दिनांक 13.04.2019 से 13.04.2021 तक के लिए वादी को ठेका पर देना तय करते हुए वादी से प्रतिवादीया सं. 1 ने दो वर्ष की ठेका राशि 2,60,000/- दोलाख साठ हजार रुपया नकदी एवं